|  |  |
| --- | --- |
| **कार्यसूची सं.** | **1** |
| **बैठक का दिनांक** | **12.02.15** |
| **बैठक सं.** | **50** |

**दिनांक 14 नवम्बर, 2014 को आयोजित 49 वें एस एल बी सी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि**

* **दिनांक 14 नवम्बर ,2014 को आयोजित 49 वें एस एल बी सी बैठक का कार्यवृत्त सभी संबंधित कार्यालयों को संप्रेषित किया**
* सभा के द्वारा इस कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है क्योंकि इस संबंध संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नही हुआ है।

|  |  |
| --- | --- |
| **कार्यसूची सं.** | **2** |
| **बैठक का दिनांक** | **12.02.15** |
| **बैठक सं.** | **50** |

**पूर्व मे आयोजित एस एल बी सी बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत रिपोर्ट**

**राज्य सरकार से संबंधित मामले**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.स.** | **से लंबित** | **विषय** | **बर्तमान स्थिति** |
| **3.1.1** | **22.03.2002** | **भूमि अभिलेखों का अद्यतन(Updation) और टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक संशोधन ( एस पी टी एवं सी एन टी अधिनियम )**  **राज्य सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों का अद्यतन करना एवं टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक परिवर्तन करना प्रस्तावित था जिससे कि,**  **1. किसानों के द्वारा कृषि ऋण के आवेदन देते समय वे भूमि अभिलेख , जो की R.B.I के नियमों के तहत अनिवार्य है , बैंकों को उपलब्ध करा सके|**  **2. राज्य के किसान एवं उद्यमी भूमि को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में रख कर कृषि, MSE,शिक्षा एवं आवास ऋण प्राप्त कर सके।** | (a) 13 जिलों मे भूमि अभिलेख का डिजिटिकरण(**अद्यतन के बिना)** का कार्य शुरू हो चुका है। शेष जिलों में नई एजेन्सी का चुनाव हेतु ताजा निविदा प्रक्रिया शुरु किया गया है।  (b) भूमि के अभिलेख का ऑन लाईन म्यूटेशन का कार्य 03 जिला रांची, हजारीबाग एवं बोकारो के 6 सर्कल में शुरू किया गया जा चुका है ।  (c) झारखण्ड जन- जाति सलाहकार समिति द्वारा एक उपसमिति का गठन किया गया है। समिति भूमि मार्टगेज के विरूद्ध शिक्षा ऋण प्राप्त करने की स्थिति पर अपना अनुशंसा/रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अनुशां प्रतिक्षारत है। |
| **पिछले 2 बैठकों से प्रगति – शून्य** |
| **3.1.2.** | **22.03.2005** | **पी डी आर अधिनियम में संशोधन – राज्य सरकार के द्वारा , एम पी और यू पी रिकवरी अधिनियम के तर्ज पर, जरुरी संशोधन करने की प्रस्ताव थी , जिस के अनुसार बैंकों के द्वारा अपफ्रॉन्ट कोर्ट फीस के भुगतान न कर , रिकवरी की राशि से ही कोर्ट फी का भुगतान करना था एवं रिकवरी अधिकारी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के संशोधित प्राबधान लागु करने की प्रस्ताव थी|** | राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (झारखण्ड सरकार अधिसूचना संख्या 127 दिनांक 16.02.2013 के तहत 25% कोर्ट फीस काअपफ्रॉन्ट भुगतान, एवं शेष 75% का Case निष्पादन के बाद भुगतान करने के लिए अधिनियम की धारा 5 में बदलाव किया है)।जो प्रस्ताव से भिन्न है|  **कुछ जिलों में उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भी कार्रवाई नही हो रही है। राज्य सरकार से आशा किया जाता है कि इस मामले में जिला स्तर के अधिकारियों को अधिसूचना के अनुदेशों का अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाए।** |
| **3.1.4.** | **20.03.2009** | **“ बिहार मनी लेन्डर एक्ट 1974 एवं नियम ” जो झारखण्ड में लागू है, में संशोधन** | इस ACT का, बैंकिंग के संदर्भ में उपयोगिता पर, सदन द्वारा बहस किया जाय एवं सही निर्णय लिया जाय एवं उसे लागु करने की प्रस्ताव लाया जाय | |
| 46 वें बैठक में तय समय सीमा – 01 माह बिहार में लागू अधिनियम की प्रति झारखण्ड सरकार को समिति द्वारा प्रदान किया गया है। | **पिछले 2 बैठकों से प्रगति – शून्य** |
| **3.1.5.** | **29.09.2010** | **राज्य के सभी जिलों में, बैंकों में बकाया राशि की वसूली हेतु समर्पित वसूली अधिकारी (Dedicated Certficate Officer) को बहाल किया जाना |** | मामला राजस्व बोर्ड को संदर्भित है एवं कार्यान्वयन हेतु मॉडलिटिज पर विचार किया जा रहा है। |
| **समय सीमा – एक माह** | **पिछले 2 बैठकों से प्रगति – शून्य** |
| **3.1.6.** | **19.02.2002** | **राज्य में बैंक के खजाने का रक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था** | राज्य सरकार के महानिरीक्षक – परिचालन ने दिनांक 3.06.2014 को एस आई एस एफ की तैनाती हेतु मॉडलिटिज पर वस्तृत चर्चा के लिए बैठक बुलाया । बैठक में प्रत्यासित तैनाती हेतु जवानों की संख्या के अनुसार मासिक प्रभार की सूचना बैंकों को दे दी गई है। इसकी सूचान आर बी आई के इश्यू विभाग को भी दिया गया है। बैंकर्स ने दिनांक 28.07.2014 को आयोजित बैठक में मुद्रा – तिजोरी में एस आई एस एफ के लिए लागू प्रभार हेतु अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है। इस संबंध में पत्र महानिरीक्षक – परिचालन को दिया गया है।  महानिरीक्षक – परिचालन ने उपरोक्त कार्य में नियुक्त एस आई एस एफ के कर्मचारियों को आवास,आतिथ्य,चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा, परेड मैदान आदि सुविधा प्रदान किये जाने का अनुरोध किया । इन शर्तों को लागु कर पाना बैंकों के लिए कठिन और महंगा है, अत: इस मामले को भारतीय रिजर्व बेंक के इश्यू विभाग को संदर्भित कर दिया गया है। |
| 46वें बैठक में तय की गई समय सीमा – 02 माह |
| **3.1.7.** | **01.12.2008** | **आरसेटी हेतु भूमि का आवंटन**  . | * **भूमि आवंटित नही किया गया – 2 ( गढ़वा एवं पलामू )** * **आरसेटी हेतु भूमि का आवंटन का विवरण एवं भवन निर्माण का विवरण संलग्न है।** |
| * **पिछले बैठक से प्रगति – पाकुड़ में भूमि का आवंटन** |
| **3.1.8** | **9.05.13** | **नगरपालिका प्राधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में भवन निर्माण के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी की घोषणा हेतु अधिसूचना।** | आयोजना एवं विकास विभाग के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तर की समिति गठित की गई है । समिति ने यह रिपोर्ट दिया है कि झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम पंचायती राज संस्थानों को बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन की अनुमति नही देता है। ड्राफ्ट उपविधियां तैयार होने की प्रक्रिया में है। |
|  |
| **3.1.9** | **27.05.14** | **रांची में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नियंत्रण कार्यालय,, एसएलबीसी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के लिए उपयुक्त भूमि का आवंटन।** | **झारखंड सरकार ने पहले मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, एसएलबीसी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड के कार्यालयों हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए आश्वासन दिया है** |
| **पिछले 02 बैठक से प्रगति –शून्य** |

**बैंक से संबधित मामले Issues Pertaining To Banks**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्रं.स.** | **से लंबित** | **मामले** | **बर्तमान स्थिति** |
| **3.1.11** | **2013** | **आरसेटी भवन का निर्माण कार्य बीओआई, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, केनरा बैंक द्वारा शुरू नही किया गया है।**  **संलग्नक सं. 12 (डी) में लम्बित विवरणी संलग्न है।** | देवघर और सिंहभूम (पूर्व) व (पश्चिम), बोकारो में भवन निर्माण का कार्य शुरू हो गया है एवं गुमला, लोहरदगा में शुरू होने वाला है। |
|  | **2013** | **एल बी आर 1,2 एवं 3 के प्रारूप में अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा संबंधित जिला के निष्पादन का सब सेक्टर वार रिपोर्टिंग करना है।** | 1.. नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के द्वारा एक सरलीक्रीत प्रारुप उपलब्ध कराया गया । समस्त **अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय को ईस नई प्रारूप मे**  **रिपोर्टंग करने के लिए सलाह दिया गया है।** |

|  |  |
| --- | --- |
| **कार्यसूची सं.** | **3** |
| **बैठक दिनांक** | **12.02.15** |
| **बैठक सं.** | **50** |

**सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक**

**31 दिसम्बर, 2014 को मुख्य कारोबार पैरामीटर्स के तहत समग्र स्थिति:**

(Rs. in crore)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.स. | विषय | **31.12.2013** | **31.03.2014** | **31.12.2014** | बेंच मार्क |
| 1 | जमाएं | 112104.73 | 118646.05 | 132580.95 |  |
| 2 | क्रेडिट | 54846.85 | 58202.91 | 62556.15 |  |
| 3 | उपयोग के स्थान \* & आरआईडीएफ\*\* के अनुसार क्रेडिट | 8148.58 | 12552.84 | 19321.27 |  |
| 4 | कुल क्रेडिट | 62995.43 | 70755.75 | 81877.42 |  |
| 5 | सी डी अनुपात (%) | 56.19 | 59.63 | 61.76 | 60 |
| 6 | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम | 38836.08 | 41890.05 | 31566.90 |  |
| 7 | कुल अग्रिम में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (पी एस ए ) का हिस्सा (%) | 70.81 | 71.97 | 50.46 | 40 |
| 8 | कृषि अग्रिम | 9219.54 | 10186.33 | 11223.08 |  |
| 9 | कुल अग्रिम में कृषि ऋण (पी एस ए ) का हिस्सा (%) | 16.80 | 17.50 | 17.94 | 18 |
| 10 | i. सुक्ष्म एवं लघु उद्यम के क्षेत्र का अग्रिम | 21469.82 | 23391.42 | 12262.35 |  |
| ii.कुल अग्रिम में सुक्ष्म एवं लघु उद्योग का हिस्सा (%) | 39.14 | 40.18 | 19.60 |  |
| 11 | एम एस ई में माईक्रो इन्टरप्राईज का हिस्सा | 37.13 | 38.89 | 49.08 |  |
| 12 | कमजोर वर्ग को अग्रिम | 7739.72 | 8304.03 | 10752.93 |  |
| 13 | कुल अग्रिम में कमजोर वर्ग को प्रदत्त अग्रिम (%) | 14.11 | 14.26 | 17.19 | 10 |
| 14 | डी आर आई अग्रिम | 32.00 | 32.90 | 29.11 |  |
| 15 | कुल अग्रिम में डी आर आई अग्रिम का हिस्सा (%) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 1 |
| 16 | महिला को प्रदत्त अग्रिम | 9560.20 | 10211.79 | 12906.30 |  |
| 17 | कुल अग्रिम में महिला को प्रदत्त अग्रिम का हिस्सा ( एन एन बी सी )(ANBC) (%) | 17.43 | 17.54 | 20.63 | 5 |
| 18 | अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अग्रिम (राशि) | 3598.84 | 3976.40 | 4566.44 |  |
| 19 | पी एस सी के तहत्त अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अग्रिम का हिस्सा (%) | 9.26 | 9.49 | 14.46 | 15 |
| 20 | एन पी ए | 3373.12 | 3332.80 | 3688.34 |  |
| सकल ऋण का प्रतिशत | 6.15 | 5.72 | 5.90 |  |
| 21 | शाखा नेटवर्क ( सं.) - ग्रामीण  अर्द्धशहरी  शहरी  कुल | 1314  639  595  2548 | 1341  695  635  2671 | 1403  706  640  2749 |  |
| 22 | झारखंड में स्थापित एटीएम | 2075 | 2265 | 2517 |  |

\*परिशिष्ट - ,\*\* संलग्नक सं. -. परिशिष्ट - के अनुसार, परिशिष्ट - ,परिशिष्ट -I, परिशिष्ट –

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| बैंकों के द्वारा दिया जा रहा आनुसांगिक सेवाएँ , | | | |
| 1 | आरसेटी एवं रूडसेटी | आरसेटी | 24 |
| रूडसेटी | 1 |
| 2. | **वित्तीय साक्षरता केन्द्र** | कमर्शिअल बैंक | 19 |
| ग्रामीण बैंक | 25 |
| 3. | **PMJDY** के अंतर्गत  **SSA** में बैंकिंग सेवा का प्राबधान | बैंकिंग सेवा से आच्छादित SSA | 4117 |
| माइक्रो ऐ.टी.एम् | 2566 |

|  |
| --- |
| **पर्यवेक्षण** |

***जमा वृद्धि***

झारखंड राज्य में बैंकों की सकल जमाओं में रूपये.**20476.22** करोड़ की वर्ष-वार वृद्धि हुई । 31 **दिसम्बर,**2014 तक वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 18.26 प्रतिशत दर्ज की गई है|

***ऋण वृद्धि***

राज्य में बैंकों के कुल क्रेडिट में रूपये 18881.99 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई । 31 **दिसम्बर,**2014 तक वर्ष-दर वर्ष वृद्धि 29.97 प्रतिशत दर्ज की गई है ।

***क्रेडिट – जमा अनुपात ( C.D Ratio)***

बैंकों का सीडी अनुपात 56.19 % से , पिछले एक साल मे बढ़ कर, 61.76% हुआ है|

(**31 दिसम्बर, 2013 से 31 दिसम्बर,2014 तक** ).

***प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम***

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम वर्ष में वर्ष–दर-वर्ष आधार पर 31 **दिसम्बर,**2014 को रू. 7269.18 करोड़ ( 18.71 प्रतिशत) का नकारात्मक वृद्धि दर्ज किया गया है। यह एस बी आई के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में रू. 9211.91 करोड़ वर्ष-दर-वर्ष का तेज गिरावट के कारण हुआ है। हालांकि, समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 50.46 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 40 प्रतिशत से काफी ज्यादा है।

**कृषि अग्रिमAgriculture Credit**

31 **दिसम्बर,**2014 को कृषि अग्रिम रू. 11223.08 करोड़ है जो कुल अग्रिम का 17.94 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में कुल रू. 2003.54 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है यानि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 21.73 प्रतिशत की वृद्धि है।

***कमजोर वर्ग Weaker Section***

झारखण्ड राज्य में कमजोर वर्ग को रूपये 10752.93 करोड़ (17.19 प्रतिशत ) का ऋण दिया गया है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 10 प्रतिशत से बेहतर है।

***महिलाओं को ऋण Advance to Women***

31 **दिसम्बर,**2014 तक महिलाओं को रूपये 12906.30 करोड़ का ऋण दिया गया है जिसमें वर्ष –दर- वर्ष आधार पर रूपये 3346.10 करोड़ वृद्धि दर्ज की गई है | जो की लगभग 35% वृद्धि है |

## 

***अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण Advance to Minority Community***

***अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 3598.84* करोड़ *से,* पिछले एक साल मे बढ़ कर *रूपये 4566.44* करोड़ *रूपये हो गया है । इसमें वर्ष –दर –वर्ष आधार पर 26.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 14.19 % है , जो मानक 15 प्रतिशत के आस पास है |***

**31 दिसम्बर,2014** **को राज्य का ऋण-जमा अनुपात**

**House may discuss.**

भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. आर पी सी डी ( रांची ) सं. 373/11.04.07/2010-11 दिनांक 10.02.2011 एवं परिपत्र सं. आरबीआई/2005-06 संदर्भ सं. आरपीसीडी/एसएलबीसी शाखा परिपत्र सं. 47/02 13/03/2005-06 दिनांकित 09.11.2005 के अनुसार बैंकों का ऋण जमा अनुपात का मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर ( एस एल बी सी ) उपयोग और आर आई डी एफ के अनुसार किया जाना है।

तदनुसार, झारखण्ड राज्य का ऋण –जमा अनुपात निम्नवत है :-

**(**Rs **in crore)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **विवरण** | | **31 दिसम्बर, 2013** | **31 दिसम्बर,2014** | |
| **जमा** | | **112104.73** | **132580.95** | |
| **कोर अग्रिम** | **54846.85** |  | **62556.15** |  |
| **उपयोग के अनुसार** | **5774.89** | **16272.56** |
| **आर आई डी एफ** | **2373.68** | **3048.70** |
| **कुल अग्रिम** | **62995.42** | **81877.41** |
| **ऋण-जमा अनुपात** | | **56.19 %** | **61.76%** | |

**( परिशिष्ट-4, परिशिष्ट - 5)**

नोट : कृपया ऋण – जमा अनुपात का विस्तृत विश्लेषण हेतु संलग्नक का संदर्भ लें जिसमें विभिन्न पैरामीटर ग्रामीण/अर्द्धशहरी/शहरी केन्द्र, बैंकवार और जिलावार समीक्षा आदि संबंधित पूर्ण विवरण संलग्न है।

|  |  |
| --- | --- |
| **कार्यसूची सं.** | **4** |
| **बैठक का दिनांक** | **12.02.15** |
| **बैठक संख्या** | **50** |

**5.1 वाषिक ऋण योजना 2014-15 के तहत्त :**

**उपलब्धियों की समीक्षा : 31 दिसम्बर,2014 तक**

**समग्र स्थिति**

**31 दिसम्बर,2014** की स्थिति के अनुसार वार्षिक ऋण योजना 2014-15 के क्रियान्वयन में बैंकों का पिछले वर्ष की तुलना में सेक्टर वार उपलब्धि: **( (रू करोड़ में )**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **सेक्टर** | **वार्षिक लक्ष्य (2013-14)** | **31.12.13 तक उपलब्धि** | | **वार्षिक लक्ष्य (2014-15)** | **31.12.14 तक उपलब्धि** | |
| **राशि** | **राशि** | **%** | **राशि** | **राशि** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| कृषि | **5566.75** | 1672.83 | 30.05 | **6335.00** | 1892.08 | **29.86** |
| एम एस ई | 4690.40 | 3032.18 | 64.65 | 5532.95 | 2635.35 | **47.63** |
| ओ पी एस | 5211.69 | 2890.00 | 55.45 | 2962.73 | 1183.46 | **39.94** |
| प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का कुल | 15468.84 | 7595.01 | 49.10 | 14830.68 | 5710.89 | **38.50** |
| गैर प्राथमिकता प्राप्त का कुल | 7484.69 | 4569.70 | 61.05 | 9689.48 | 6613.41 | **68.25** |
| **कुल** | **22953.53** | **12164.71** | **53.00** | **24520.16** | **12324.30** | **50.26** |

**वार्षिक ऋण योजना के तहत्त 31 दिसम्बर,2014 तक बैंकवार/जिलावार और सेक्टर वार लक्ष्य एवं उपलब्धि, परिशिष्ट 6 में दिया गया है।**

**तिसरी तिमाही तक ACP 2013-14 & ACP 2014-15 मे किया गया संवितरण का तुलनात्मक विवरण**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **सेक्टर** | **वित्तीय वर्ष 2013-14 के दिसम्बर तक किया गया संवितरण** | **वित्तीय वर्ष 2014-15 के दिसम्बर तक किया गया संवितरण** | **वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15**  **के दिसम्बर तिमाही**  **तक किये गये संवितरण में**  **तुलनात्मक वृद्धि** | **प्रतिशत**  **वृद्धि** |
| 1 | 2 | 3 | **4** | **5** |
| कृषि | 1672.83 | 1892.08 | **219.25** | **13.10** |
| एम एस ई | 3032.18 | 2635.35 | **(-) 396.83** | **(-) 13.08** |
| ओ पी एस | 2890.00 | 1183.46 | **(-)1706.54** | **(-)59.04** |
| कुल प्राथमिकता क्षेत्र | 7595.01 | 5710.89 | **(-)1884.12** | **(-)24.80** |
| कुल गैर प्राथमिकता क्षेत्र | 4569.70 | 6613.41 | **2043.71** | **44.72** |
| **कुल** | **12164.71** | **12324.30** | **159.59** | **1.31** |

**टिप्पणियां :**

* वार्षिक ऋण योजना के तहत **AFY 2014-15** के **दिसम्बर तिमाही तक,**, **कृषि एवं गैर प्राथमिकता क्षेत्र को** छोड़ , सभी क्षेत्रों में कुल संवितरण में तेजी से ह्रास हुआ है। यह एक चिंताजनक बिषय है।
* बिस्र्त्रित बिश्लेषण पर , यह पता चलता है की निम्नलिखित बैंकों के कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के संवितरण में ह्रास हुया है , जिसका प्रभाव से राज्य के कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के संवितरण में ह्रास हुया है|

S.B.I,B.O.I,Allahabad Bank,U.B.I, UCO Bank, IOB,O.B.C etc.

* कृषि क्षेत्र में **Rs. 1892.08** करोड़ रुपये का शुद्ध संवितरण अत्यधिक उत्साहजनक है। यह स्पष्ट है कि कृषि के लिए एसएलबीसी की उप समिति द्वारा अपनाई गए उपाय प्रभावी एवं सार्थक साबित हुआ है एवं इसके सुपरिणाम प्राप्त होने लगे है।
* कृषि क्षेत्र में **Rs.6335.00** करोड़ रुपए का लक्ष्य इस क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिए गए **Rs.8.00** लाख करोड़ का राष्ट्रीय लक्ष्य की झारखंड राज्य की हिस्सेदारी के हिसाब से एसएलबीसी की उप-समिति द्वारा आवंटित की गई है।
* झारखंड राज्य के बैंकों को राज्य के बाहर मंजूर क्रेडिट सीमा लेकिन झारखंड के अंदर भीतर उपयोग किया जा रहा हो, को राज्य में स्थित शाखाओं को इयरमार्क करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय से संपर्क करना चाहिए
* क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए कम ऋण का संवितरण चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यक्षेत्र की focussed area है ।
* मौजूदा भूमि अभिलेख की अन-उपलब्धता, भूमि बंधक के कड़े नियम, फसल बीमा का सीमित समय तक की उपलब्धता और वो भी चयनित फसलों के लिए, साथ-साथ सुरक्षा का बर्तमान माहौल एवं वसूली का वातावरण , कृषि क्षेत्र में ऋण संवितरण में बाधक साबित हो रहा है।

|  |  |
| --- | --- |
| **कार्यसूची सं.** | **5** |
| **बैठक का दिनांक** | **12.02.15** |
| **बैठक संख्या** | **50** |

**5. REVIEW OF LENDING ऋण का समीक्षा**

**5.1. कृषि एवं किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें केसीसी योजना भी शामिल है**

राज्य में सभी बैंकों का कुल कृषि साख रू. **11223.08** करोड़ है जो सकल ऋण का **17.94%**  है। यह राष्ट्रीय बेंचमार्क **18** प्रतिशत के लगभग बराबर है। हालांकि यह प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। सभी हितधारकों , राज्य सरकार, बैंक, नाबार्ड और अन्य एजेन्सी इस ओर फोकस होने के कारण इस क्षेत्र में संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो रहे है।

**झारखण्ड में के सी सी की स्थिति STATUS OF KCC IN JHARKHAND**

(Amt. In Crores)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **बैंको की श्रेणि** | **Disbursement**  **During 14-15** | | **Outstanding In KCC Accounts** | | **Out of Total K.C.C at the end of Reporting Quarter**  **(Standard Asset)** | |
| **AS OF**  **31.12.14** | |
| **A/C** | **Amt.** | **A/C** | **Amt.** | **A/C** | **Amt.** |
| **सार्वजिन क्षेत्र के बैंक** | 332432 | 807.05 | 1151559 | 3435.86 | 966306 | 2712.79 |
| **निजी बैंक** | 3108 | 34.73 | 5669 | 58.37 | 1111 | 14.85 |
| **कुल** | 335540 | 841.78 | 1157228 | 3494.26 | 967417 | 2727.64 |
| **आर आर बी** | 147206 | 303.98 | 310870 | 742.85 | 81778 | 187.44 |
| **कॉपरेटिव बैंक** | 6352 | 9.35 | 19288 | 28.53 | 10786 | 14.77 |
| **कुल l** | 489098 | 1155.11 | 1487386 | 4265.64 | 1059981 | 2929.85 |

**रूपये क्रेडिट कार्ड RuPay Credit Card**

सभी सामान्य के सी सी खातॉं को दि : 31.03.2013 तक Smart K.C.C खातॉं मे परिवर्तित कर उन खातों मे आबश्यक तौर पर Rupay Card जारी कर देना था ,ताकि यह ए टी एम एवं पी ओ एस में भी कार्य कर सके। यह पाया गया है कि समस्त के सी सी धारकों को एक या अन्य कारणों से रूपये कार्ड जारी नही किया गया है। अब तक कुल 445890 रूपये कार्ड जारी किया गया है। ( विवरण अनुलग्नक में संलग्न है ) सभी के सी सी लाभुकों को रूपये कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

.

**5.2. सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उध्यमों का बित्त पोषण**

**6.2.1. सुक्ष्म एवं लघु उध्यमों का वित्त पोषण ( एम एस ई) ( प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र )**

(Accounts in Lacs) **(Amt.**  **in crore)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sl. No. | Particular | | | Outstanding position as at the end of | |
| Dec’2013 | Dec’2014 |
| (1) | (2) | | | (3) | (4) |
| **1** | **Micro Enterprises** | | **Accounts** | **293910** | **218648** |
| **Amount** | **7972.69** | **6018.71** |
|  | a. | Manufacturing Sector | Accounts | 58573 | 36674 |
|  | Amount | 2612.41 | 1411.98 |
|  | b. | Service Sector | Accounts | 235337 | 181974 |
|  | Amount | 5360.28 | 4606.73 |
| **2** | **Small Enterprises** | | **Accounts** | **181423** | **79135** |
| **Amount** | **13497.12** | **6243.63** |
|  | a. | Manufacturing Sector | Accounts | 59987 | 17390 |
|  | Amount | 7541.24 | 2969.69 |
|  | b. | Service Sector | Accounts | 121436 | 61745 |
|  | Amount | 5955.58 | 3273.94 |
| **3** | **Total Micro and Small Enterprises (MSE sector)** | | **Accounts** | **475333** | **297783** |
| **Amount** | **21469.81** | **12262.34** |
| **4** | a. | Share of Credit to Micro Enterprises in total credit to MSE sector | Percent share of amounts (stipulation:60%) | 37.13 | **49.08** |
| b. | Share of credit to MSE sector in NBC/ ANBC | Percent share of amount | 39.14 | **19.60** |

**Credit Flow to Medium ENTERPRISES (Non Priority Sector):**

( **Amounts in Crore )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sl. No. | Particular | | Outstanding position as at the end of | |
| Dec’2013 | Dec’2014 |
| (1) | (2) | | (3) | (4) |
| a. | Manufacturing Sector | Accounts | 10575 | 2413 |
| Amount | 942.38 | 880.94 |
| b. | Service Sector | Accounts | 81362 | 26926 |
| Amount | 534.07 | 514.66 |
| **c.** | **Total of Medium Enterprises** | **Accounts** | **91937** | **29339** |
| **Amount** | **1476.45** | **1395.60** |

**COVERAGE UNDER CGTMSE( Collateral Free Loans Upto RS. 1.00 Crore in MSME )**

**(Rs. In Crore)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COVERAGE UNDER CGTMSE** | | | |
| **MANUFACTURING** | | **SERVICES** | |
| **A/C** | **AMT** | **A/C** | **AMT.** |
| **11277** | **720.39** | **26830** | **1451.32** |

**टिप्पणियां**

* झारखंड में कुल एमएसई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 60% की बेंच मार्क के विरूद्ध **दिसम्बर** 2014, मे

49.08 %है।

* एम एस एम ई क्षेत्र में ऋण वितरण का राज्य में विशाल स्कोप है क्योंकि यह राज्य औद्योगिक रूप से धनी होने के साथ –साथ यहां सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कई कंपनियां संचालित है। यहां खान खनिज एवं कोयला आदि का भारी संपदा है। इनके लिए उचित एन्सियलरी उद्योग को स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। राज्य में एम एस एम ई के विकास हेतु प्रयास करना चाहिए।
* यह पाया गया है कि झारखण्ड में प्रयोग किये जाने वाले वस्तुओं का निर्यात क्रेडिट कोलकाता, मुम्बई आदि जगहों पर अवस्थित बैंक शाखाओं द्वारा किया जाता है स्थानीय शाखाओं को भी उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के उद्येश्य से निर्यात क्रेडिट हेतु सशक्त करना चाहिए।

**झारखण्ड राज्य में निर्यात ऋण**

( रू करोड में )

|  |  |
| --- | --- |
| **31 दिसम्बर, 2013** | **31 दिसम्बर, 2014** |
| 422.13 | 433.40 |

**5.3. शिक्षा ऋण Education loan**

**शिक्षा ऋण योजना के तहत्त बैंको का निष्पादन**

**(Amt**. **in crore)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Particulars** | **As on**  **31.12.13** | **As on**  **31.12.14** | | | | **Total As on**  **Dec. 14** | **GROWTH**  **Y-O-Y**  **IN**  **EDU.**  **LOAN** | **DISBURESEMENT MADE**  **DURING**  **AFY 2014-15 in**  **ACP 14-15** |
| **Public**  **Sector**  **Bank** | **Private**  **Sector**  **Bank** | **RRB** | **Coop.**  **Bank** |
| No. of Account | **59013** | **62111** | **104** | **968** | **3** | **63186** | **4173** | **11552** |
| Amount (In crore) | **2020.61** | **2169.14** | **2.33** | **23.44** | **0.07** | **2194.98** | **174.37** | **334.10** |

* पिछली तिमाही से इस तिमाही के दौरान शिक्षा ऋण की स्वीकृति में राज्य के बैंको के निष्पादन में सुधार हुआ है। हालांकि विश्लेषण से यह पता चलता है कि निजी क्षेत्र के बैंको का निष्पादन इस क्षेत्र में बेहतर नही है।

**निजी क्षेत्र के सभी बेंकों के नियंत्रक कार्यालयों को इस विषय पर विशेष ध्यान देने हेतु सुझाव दिया गया है । T**

* शिक्षा ऋण देश के मानव पूंजी के विकास के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाता है। देश के भविष्य एवं आने वाली पीढ़ियों का के विकास के लिए इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
* झारखंड से प्रति वर्ष छात्र बड़ी संख्या में देश के विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश पा रहे है। राज्य के बैंक शिक्षा ऋण की स्वीकृति में अहम भूमिका निभाएं
* राज्य के बैंक वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान शिक्षा ऋण के 929.10 करोड़ के लक्ष्य का 35.96 प्रतिशत( 334.10 करोड़ ) संवितरित किया है।
* झारखण्ड जन- जाति सलाहकार समिति द्वारा एक उपसमिति का गठन किया गया है। समिति भूमि मार्टगेज के विरूद्ध शिक्षा ऋण प्राप्त करने की स्थिति पर अपना अनुशंसा/रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अनुशां प्रतिक्षारत है।
* इसके अलावा राज्य रोजगार के अवसर प्राप्ति हेतु युवाओं के कौशल विकास के लिए ऋण प्रदान करने का सुविधा प्रदान करता है।.

**5.4 आवास ऋण**

**Performance of Banks under Housing loan Scheme**

आवास ऋण योजना के तहत बैंकों के प्रदर्शन

(Amt.in Crore करोड़ में राशि)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Particulars**  **पर्टिक्यूलर** | **31.12.13 तक** | **31.12.2014 तक** | | | | **31.12.14 तक कुल** | **गृह ऋण में**  **वर्ष-वार** **बडॉतरि** | **ACP 14-15**  **के दौरान दिया गया संवितरण** |
| **Public**  **Sector**  **Banks**  **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक** | **Private**  **Sector**  **Banksनिजी क्षेत्र के बैंक** | **RRB**  **आर.आर.बी** | **Coop.**  **Banks**  **सहकाअरी क्षेत्र के बैंक** |
| No. of Account  खाता की सं. | 62270 | 57997 | 5650 | 528 | 5 | 64180 | 1910 | 9135 |
| Amount राशि(In croreकरोड़ में ) | 4249.94 | 3904.19 | 412.52 | 24.75 | 1.06 | 4342.53 | 92.59 | 762.11 |

* इस क्षेत्र में विकास के लिए और अवसर है । राज्य अपार्टमेंट एक्ट का सक्षम रुप से अनुपालन अभाव एवं ,नगर पालिका के स्तर से नीचे स्थानों में निर्माण योजना के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी घोषित की गयी अधिसूचना की अनुपलब्धता ईत्यादि , इस क्षेत्र के विकास मे बाधक है ।
* . अभी तक राजीव ऋण योजना राज्य में शुरू नहीं किया क्योंकि नोडल एजेंसियों यानी हडको और राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से मामले पर कार्यवाही नहीं की गयी है, और ना हि अभी तक नोडल एजेंसियों यानी हडको और राष्ट्रीय आवास बैंक और संवितरण बैंकों के बीच कोई समझौता ज्ञापन दर्ज किया गया है।

|  |
| --- |
| **5.5 CREDIT FLOW TO SPECIAL CATEGORY OF BORROWERS(ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी हेतुअ ऋण प्रवाह)** |

|  |
| --- |
| **6.5.1 अल्पसंख्यक समुदायों हेतु ऋण प्रवाह** |

31 दिसम्बर , 2014 तक स्थिति निम्न है:

( Rs. in Crore (करोड़ में रूपया)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 **दिसम्बर**  , **2013** | | **%** | 31 दिसम्बर , 2014 | | अल्पसंख्यक  का शेयर |
| पी.एस.सी | अल्पसंख्यक समुदाय | पी.एस.सी | अल्पसंख्यक  समुदाय |
| 38836.08 | 3598.84 | 9.26 | 31566.90 | 4566.44 | 14.46 |

अल्पसंख्यक समुदायों हेतु अग्रिम 31 दिसम्बर , 2014 तक 14.46 % है और 15% का बेंच मार्क के नीचे है , वावजूद 31 दिसम्बर , 2013 में 9.26 % से बडकर 14.46% हो गया है।

|  |
| --- |
| 6.5.2 महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह |

31 **दिसम्बर**  , 2014 की तुलनात्मक स्थिति को नीचे दिया गया है: (रु. करोड़ में)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 **दिसम्बर**  , 2013 | | **PERCENTAGE**  **OF CREDIT TO**  **WOMEN**  **महिलों के लिए क्रेडिट का प्रतिशत** | 31 **दिसम्बर**  , 2014 | | Target of lending to Women (%) महिलाओं के लिए लेंडिंग का लक्ष्य |
| Gross Credit  सकल क्रेडिट | Of which to Women  महिलाओं के लिए | Gross Credit  सकल क्रेडिट | Of which to Women  महिलाओं के लिए | 5% of NBC  एनबीसी का 5% |
| 54846.85 | 9560.20 | 17.43 | 62556.15 | 12906.30 | 20.63 |

|  |
| --- |
| 6.5.3 डीआरआई के लिए ऋण प्रवाह) |

31 दिसम्बर , 2014 को इस क्षेत्र में बैंकों के प्रदर्शन, नीचे इस प्रकार है:

( Rs. in Crore करोड़ में रू. )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 **दिसम्बर**  , 2013 | | 31 **दिसम्बर**  , 2014 | | नेट क्रेडिट मे DRI का प्रतिशत |
| सकल क्रेडिट | जिसमे DRI | सकल क्रेडिट | जिसमे DRI |
| 54846.85 | 32.00 | 62556.15 | 29.11 | 0.05 |

.डी.आर.आई अग्रिम को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदम:

डी.आर.आई के तहत विभिन्न बैंकों की भागीदारी धीरे-धीरे कम हो रही है ।.बैंकों को डीआरआई योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के वित्तपोषण के लिए छोटे गतिविधियों जैसे सब्जी विक्रेताओं, रिक्शा चालक,, छोटी स्ट्रीट विक्रेताओं, हॉकरों आदि की ऋण उपलब्ध करवाने की पहल करनी चाहिए । “प्रधान मंत्री जन धन योजना” , इस दिशा मे व्यापक स्कोप प्रदान करता है और समाज के इन दलित अनुभाग के लिए अग्रिम बनाने हेतु तैयार ग्राहकों को प्रदान करता है।

|  |
| --- |
| **एससी/एसटी के लिए ऋण प्रवाह** |

31 दिसम्बर , 2014 को समाप्त तिमाही मे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए ऋण प्रवाह की तुलनात्मक स्थिति को नीचे दिया गया है: -

(करोड़ में रू.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 दिसम्बर , 2013 | | कुल ऋण का प्रतिशत | 31 दिसम्बर , 2014 | | कुल ऋण का प्रतिशत |
| कुल ऋण | एस.सी/एस.टी को दिया गया  ऋण. | कुल ऋण् | एस.सी/एस.टी को दिया गया  ऋण. |
| 54846.85 | 8004.65 | 14.59 | 62556.15 | 15455.04 | 24.70 |

|  |
| --- |
| **5.6. Scheme for financing of Women SHG**  **एसएचजी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना** |

भारत के पिछड़े जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा और समर्थन देने के लिए भारत सरकार,दिनांकित 04 जनवरी एमओएफ,डीएफएस पत्र सं.एफ नंबर 3/6/2011-एसी (वॉल्यूम II), 2012 के तहत विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।यह योजना गैर-सरकारी संगठनों/अन्य सहायता संगठनों के माध्यम से देश के चुनिंदा जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने Sके लिए है। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक के साथ समन्वय करते हुए चयनित जिले के अग़्रणी बैंक, जिले में इस योजना के क्रियान्वयन, निगरानी और समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे। यह योजना पहचान किए हुए जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में सीबीएस सुविधा रखते हुए, बैंक शाखाओं के माध्यम से क्रियान्वयित की जाएगी. अग़्रणी जिला प्रबंधक नाबार्ड एवं डीडीएम के साथ समन्वय में और DLCC के अनुमोदन के साथ कार्यान्वयित शाखाओं का चयन करेंगे जो अपने ही बैंक या किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लोकल एरिया बैंक, शहरी सहकारी बैंक से हो सकता है etc. यह आवश्यकता है कि बैंक के ऐसे प्रत्येक शाखा में क्रेडिट अनुरोधों के लिए प्रसंस्करण, बचत खाते खोलने सहित स्वयं सहायता समूहों से संबंधित सभी मामलों के निपटारे के लिए एक नोडल व्यक्ति है।

**31.12.14 तक झारखंड राज्य के एलडब्लूई प्रभावित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रगति नीचे दी गयी है -**

|  |  |
| --- | --- |
| **जिलों की संख्या** | 18 |
| **ब्लाकों की संख्या** | 210 |
| **गैर सरकारी संगठन की संख्या** | 127 |
| **नवगठित डब्लू.एस.एच.जी की संख्या** | 34909 |
| **एसएचजी बचत लिंक्ड की संख्या** | 22275 |
| **एसएचजी ऋण लिंक्ड की संख्या** | 4169 |
| **2014-15 के दौरान जारी अनुदान की राशि** | Rs.132.09 लाख |
| **क्रेडिट संवितरण की राशि।** | रूपया 1334.08 लाख |

|  |
| --- |
| **5.7. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)** |

**वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु एस एच जी – क्रेडिट लिंकेज का लक्ष्य**

वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य में कुल रू. 350 करोड़ का लक्ष्य **एस एच जी – क्रेडिट लिंकेज** हेतु प्रस्तावित है। क्रेडिट लक्ष्य की गणना जिलावार पात्र एस एच जी की संख्या के आधार पर किया है। बाद में उप समिति के सदस्यों से यह भी सुझाव आया कि एस एच जी क्रेडिट लक्ष्य बैंकवार भी दिया जाना चाहिए ( ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं की उपस्थिति के आधार पर )

# एन आर एल एम की उपलब्धि (31 दिसम्बर , 2014 तक )

31 दिसम्बर , 2014 ***तक की गई मुख्य प्रगति – संचयी और वार्षिक***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **संकेतक Indicators** | **मार्च 2014 तक की स्थिति** | **वार्षिक लक्ष्य Annual Target**  **(2014-15)** | **उपलब्धि Achievement**  **(2014-15) in Apr –Dec'14** | **शुरुआत से अब तक संचयी उपलब्धि Cumulative achievement till date since Inception** |
| शामिल प्रखंडों की संख्या | 23 | 40 | 9 | 32 |
| शामिल गावों की संख्या | 1239 | 1348 | 828 | 2067 |
| एस आर एल एम समर्थित एस एच जी की कुल संख्या | **8102** | 10846 | **5893** | **13995** |
| एस आर एल एम समर्थित कुल अनुमानित परिवार | **105326** | 131671 | 67703 | **173029** |
| बनाए गए वी ओ की सं. | 162 | 700 | 495 | 657 |
| बैंक शाखा सहित एस एच जी की संख्या | 4654 | 7548 | 6282 | 10936 |
| एस एच जी की संख्या जिसने आर एफ प्राप्त कर लिया है | 3992 | 8863 | 4808 | 8800 |
| संवितरित आर एफ की राशि ( लाख में ) | 598.75 | 1329.5 | 721.25 | 1320 |
| एस एच जी की संख्या जिसने सी आई एफ प्राप्त कर लिया है | 2341 | 4468 | 3166 | 5507 |
| सी आई एफ की संवितरित राशि ( लाख में ) | 1170.40 | 2234 | 1581.10 | 2751.50 |
| एस एच जी की संख्या जो बैंक से क्रेडिट लिंक्ड है | 228 | 2923 | **1249** | **1477** |
| बैंक से क्रेडिट लिवरेज्ड की राशि ( लाख में ) | **264.5** | 1458 | 690.75 | 955.25 |
| किसानों की संख्या जो एस सी आई कर रहे है | NA | 80,000 | 39620 | NA |
| किसानों की संख्या जो सी एम एस ए कर रहे है | NA | 200 | 322 | NA |
| किसानों की संख्या जो बकरी पालन कर रहे है | NA | 4500 | 6383 | NA |
| लाह की खेती करने वाले किसानों की संख्या | NA | 2000 | 200 | NA |
| विकसित सूक्ष्म उद्यमियों की संख्या | NA | 225 | 176 | NA |
| कौशल विकास कार्यक्रम के तहत्त कुल प्रशिक्षित युवकों की संख्या |  | 53,727 (cumulative target) | NA | 32717 |

|  |  |
| --- | --- |
| **एजेंडा सं.** | **6** |
| **बैठक की तिथि** | **12.02.15** |
| **बैठक की संख्या** | **50** |

|  |
| --- |
| 6. FINACIAL INCLUSION  वित्तीय समावेशन |

|  |
| --- |
| **प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)** |

## झारखंड राज्य मे “प्रधान मंत्री जन धन योजना” के प्रथम चरण मे ,निम्नलिखित लक्ष रखा गया था ,

1. राज्य के अंदर एक ब्यापक Household सर्वे करवाया जाय । जिसमे चिन्हित उन सभी Household , जिनमे किसी भी सदस्य का बैंक खाता न हो , उनमे दि : 25.01.2015 तक कम से कम एक BSBD खाता खोलने को सुनिश्चित कीया जाय ।
2. राज्य के अंदर के सभी पंचायत मे 1500 से 2000 Household पर एक S.S.A का गठन किया जाय । एवं उन S.S.A को बिभिन्न बैकों के बीच आवंटित कर उन S.S.A मे बैकों का B.C/BCA का परीनियोजन सुनिश्चित कीया जाय ताकि उन B.C/BCA के द्वारा S.S.A मे on-line Banking सेवा प्रदान कीया जा सके।
3. “प्रधान मंत्री जन धन योजना” के अंदर खोला गया सभी खातों मे आबश्यक तौर पर Rupay Card जारी किया जाय तकि उन खातों मे दुर्घटना बीमा एवं जीवन बीमा का लाभ प्राप्त हो।

|  |
| --- |
| **झारखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति** |

1. **हाउसहोल्ड सर्वेक्षण का आयोजन**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **एसएसए की कुल संख्या** | **वार्डोंकी कुल सं.** | सर्वेक्षण **का समापन** | | **कुल**  Household  जिनमे सर्वेक्षण  किया गया | **बिना खातों का** चिन्हित  Household | **कुल खोले गये खातों की**  **संख्या** |
| **SSA**  **एसएसए** | **Wards**  **वार्डस** |
| **4175** | **1002** | **4175** | **1002** | **4687342** | **1110436** | **2667951** |

B. **बी.सी (बैंक मित्रा) द्वारा एसएसए के कवरेज की स्थिति**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **एसएसए की कुल संख्या** | **बी.सी द्वारा एसएसए का कवर**  **( Fixed Location )** | **बैंक शाखा द्वारा एसएसए कवर** | **अनकवर्ड** |
| **4175** | **3269** | **848** | **58** |

C. **. पीएमजीडीवाइ के तहत खोले गए बीएसबीडी खातों की स्थिति ।**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **24.01.15 तक खोले गए बीएसबीडी खातों की संख्या** | | | **PMJDY खातों मे जारी किये गये कुल रूपे कार्ड की**  **संख्या** | **आधार**  **Seeding**  **किये गये PMJDY खातों की**  **संख्या** |
| **ग्रामीण** | **शहरी** | **कुल** |
| **1728170** | **939781** | **2667951** | **1748697** | **1310909** |

**“ प्रधानमंत्री मंत्री जन-धन योजना ”(PMJDY) में ध्यानकर्षण योग्य बिंदु ,**

1. यद्यपि कुल 4175 SSA में से 4117 SSA बैंकिंग सेवा से आच्छादित किया जा चूका है , परन्तु कुछ SSA

की औचक निरिक्षण के दौरान यह पता चल रहा है की , कुछ SSA में कार्यरत BC/BCA को सम्बंधित बैंको के द्वारा , बैंकिंग सेवा प्रदान करने हेतु कोई भी ON-LINE Device नहीं दिया गया है | जब की पीएमजीडीवाइ योजना के तहत , सभी SSA में ON-Line Banking सेवा प्रदान करना अनिवार्य है| सभी बैंको से यह आग्रह है की वे जल्द से जल्द सभी BC/BCA को ON-LINE Device प्रदान कर उनका सञ्चालन सुनिश्चित करें |

1. पीएमजीडीवाइ योजना के तहत खोला गया कुछ खातों में अब तक पास-बुक जारी नहीं किया गया , सभी बैंको से यह आग्रह है की वे जल्द से जल्द सभी खातों में पास-बुक जारी करना सुनिश्चित करें|
2. यद्यपि पीएमजीडीवाइ योजना के तहत खोला गया खातों में अब तक कुल 1748697 रुपे कार्ड जारी किया गया , परन्तु औचक निरिक्षण के दौरान यह पता चल रहा है की बहुत से रुपे कार्ड अब

तक अवितरित है एवं कुछ रुपे कार्ड अब तक Activated नहीं किया जा चूका है | सभी बैंको से यह आग्रह है की वे जल्द से जल्द सभी खातों में रुपे कार्ड का Activation सुनिश्चित करें , एवं साथ ही बिभिन्न शाखाओं एवं एफ.एल.सी केन्द्रों के द्वारा ग्राहोकों को रूपए कार्ड के ब्यबहार के प्रति जागरूक करें|

1. सभी लोगों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करना , पीएमजीडीवाइ योजना के एक मुख्य लख्य है, सभी बैंकों से यह आग्रह है की , R.B.I दिशानिर्देश के अनुसार सभी ग्रामीण शाखाओं में , प्रत्येक सप्ताह, एक वित्तीय साक्षरता शिबिर का आयोजन सुनिश्चित करें |
2. SSA में स्थापित Fixed Location BC/BCA को समय पर पारिश्रमिक- प्रदान , उन केन्द्रों का सफल सञ्चालन का एक मुख्य पहलु है| सभी बैंकों से यह आग्रह है की, इन Fixed Location BC/BCA को समय पर यथायोग्य पारिश्रमिक- प्रदान करना सुनिश्चित करें|
3. पीएमजीडीवाइ योजना के तहत खोला गया कुछ खातों में अब तक Aadhar Number Seeding नहीं हुया है | इन खातों को एवं साथ ही सभी खातों में Aadhar Number Seeding सुनिश्चित करें |
4. पीएमजीडीवाइ के तहत स्वावलम्बन योजना ( Swavalamban Scheme ) , की कार्यान्वयन की आवश्यकता है | सभी बैंकों हे यह आग्रह है की वे इस योजना को लागु करने में रूचि दिखाएँ |

**Modified DBTL Scheme ( पहल)**

**इस योजना के अंतर्गत सभी घरेलु गैस उपभोक्ताओं को प्रदेय अनुदान राशि को उनके बैंक खाता के द्वारा भुगतान करने की लख्य रखा गया है | इस योजना में निम्नलिखित तरीकों से अनुदान राशि भुगतान का प्रावधान है ,**

1. **आधार संख्या को बैंक खाता एवं LPG Company के पास seeding करवाकर |**
2. **LPG Company के consumer I.D No को बैंक खातों में seeding करवाकर |**
3. **LPG Company के पास बैंक खाता संख्या seeding करवाकर |**

**दि : 13.01.2015 तक झारखण्ड राज्य में इस योजना के अंदर निम्नलिखित प्रगति की गई है ,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LPG उपभोक्ताओं**  **की संख्या** | **LPG उपभोक्ताओं**  **(Col. 1 )**  **की LPG कंपनी**  **के पास आधार**  **seeding** | **LPG उपभोक्ताओं**  **जिनकी LPG कंपनी**  **के पास आधार**  **Seeding हो चुकी है**  **(Col.2 )**  **उनकी BANK**  **के पास आधार**  **seeding** | **बैंक आधार**  **Seeding का**  **प्रतिशत** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1713463 | 920089 | 612075 | 66.52% |

|  |  |
| --- | --- |
| **कार्यसूची सं** | **7** |
| **बैठक का दिनांक** | **20.02.14** |
| **बैठक सं** | **50** |

एन पी ए & वसूली - एन पी ए/ बैंकों के स्ट्रेस्ड आस्तियों के रुकाव हेतु नियंत्रक उपाय एवं वसूली से संबधित उपाय

झारखंड राज्य में बढ़ता एन पी ए एवं स्ट्रेस्ड आस्तियां धीरे - धीरे एक गंभीर मामला बनता जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि धीरे-धीरे एन पी ए की राशि में तीव्र गति से वृद्धि हो रहा है। बैंक द्वारा संवरित लोन राशि का एक बड़ा भाग एन पी ए हो जा रहा है और बैंकों को इसकी वसूली में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से राज्य में ऋण का विकास कम है। एन पी ए खातों की राशि के लिए आवश्यक प्रावधान ( Provisionin ) किए जाने से बैंकों की पूंजी एवं लाभप्रदत्ता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। राज्य में बढ़ते एन पी ए के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक ने गंभीर चिंता प्रकट किया है।

कानून - व्यवस्था को ठीक करना एवं अनुकूल माहौल बनाना, समर्पित सर्टिफिकेट अधिकारी की बहाली और राज्य सरकार का सहयोग , लंबे समय से लंबित मुद्दों को लागू किया जाना, वसूली में सरकार का पर्याप्त सहयोग आदि से निश्चित रूप से राज्य में वसूली का एक बेहतर माहौल बनेगा

एनपीए की नवीनतम स्थिति एवं नीचे दिये गए संबधित मामले इस संदर्भ में उल्लेखित किया जा सकता है | Government Sponsored योजनाओं के अंदर poor recovery rate भी एक चिंताजनक विषय है , जिसमे सरकार को तुरंत ध्यान देने की आबश्यकता है |

|  |
| --- |
| ***गैर निष्पादनीय आस्तियां*** |

राज्य के बैंकों में दी 31 दिसम्बर , 2014 को एन पी ए की स्थिति निम्नवत है :-

**[राशि करोड़ में ]**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **विवरण** | **31.12.13** | **31.12.14** | **Y-TO-Y**  **Growth** | **%**  **Growth** |
| सकल अग्रिम | 54846.85 | 62556.15 | 7709.30 | 14.05 |
| **सकल एन पी ए** | 3373.12 | 3688.34 | 315.22 | 9.34 |
| सकल अग्रिम प्रतिशत में | ***6.15*** | ***5.89*** | ***(-)0.26*** |  |

**नोट : उपरोक्त राशि में रिटेन ऑफ (Written-Off) की राशि शामिल नही है।**

|  |
| --- |
| ***सर्टिफिकेट केस का बैंकवार स्थिति*** |

राज्य के बैंकों में सर्टिफिकेट केस के लंबित मामलों की स्थिति इस प्रकार है: **[ राशि करोड़ में ]**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **बैंक** | **31.12.13** | | **31.12.14** | |
| **सं** | **राशि** | **संख्या** | **राशि** |
| **वाणिज्यि क बैंक** | 101839 | 322.04 | 105841 | 365.42 |
| **आर आर बी** | 7803 | 8.29 | 6163 | 13.85 |
| **कुल** | **109642** | **330.33** | **112004** | **379.27** |

सर्टिफिकेट केस की तिमाही निपटान की स्थिति निम्नवत है :

**[राशि करोड़ में ]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **बैं**  **क** | **31.12.14** | |
| **Number** | **Amount** |
| **1** | **2** | **3** |
| **वाणिज्यिक बैंक** | 194 | 2.59 |
| **आर आर बी** | 306 | 0.54 |
| **कुल** | 500 | **3.13** |
| **कुल 112004 मामलों में से** |

|  |
| --- |
| डी आर टी केस की स्थिति |

दिनांक 31 दिसम्बर , 2014 तक बैंकों के डी आर टी के की स्थिति इस प्रकार है :-

**[ राशि करोड़ में ]**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **दिसम्बर,2013 तक डी आर टी के केस** | | **सितम्बर 2014 तक डी आर टी के केस** | | **दिसम्बर 2014 तिमाही में दाखिल किया गया केस** | | **दिसम्बर 2014 तिमाही में निष्पादित डी आर टी के केस** | | **दिसम्बर 2014 तक डी आर टी के केस** | |
| सं | राशि | सं | राशि | सं | राशि | सं | राशि | सं | राशि |
| 1288 | 491.21 | 1587 | 569.09 | 148 | 133.97 | 29 | 4.63 | 1706 | 698.43 |

|  |
| --- |
| वसूली (RECOVERY) |

**( रु. करोड़ में )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **विवरण** | **मांग** | **वसूली** | **%** | **विवरण** | **मांग** | **वसूली** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| कृषि | 2653.92 | 1726.26 | **65.05** | **SGSY** | 158.09 | 66.65 | **42.16** |
| **एम एस ई** | 4946.46 | 2805.91 | **56.73** | **पीएमआर वाई**  **/पीएमईजीपी PMEGP** | 273.99 | 92.71 | **33.84** |
| **ओ पी एस** | 1086.30 | 610.11 | **56.16** | **कुल** | 432.08 | 159.36 | **36.88** |
| **कुल पी एस सी** | 8686.75 | 5142.28 | **49.42** |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **कार्यसूची सं** | **8** |
| **बैठक का दिनांक** | **12.02.15** |
| **बैठक सं** | **50** |

|  |
| --- |
| 10. दिनांक 31 दिसम्बर , 2014 सरकार प्रायोजित योजनाओं के तहत्त की गई प्रगति की समीक्षा |

**9.1** प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ( पी एम ई जी पी )

दिनांक 31 दिसम्बर , 2014 तक समग्र स्थिति

**( राशि करोड़ में )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **लक्ष्य** | **प्राप्त आवेदन** | **स्वीकृत आवेदन** | | **संवितरित** | | **उपलब्धि %** | | **निस्तारित/वापस किया गया Rejected/returned** | **लंबित** |
|  | **सं** | **राशि** | **सं** | **राशि** | **स्वीकृत बनाम लक्ष्य** | **संवितरित बनाम लक्ष्य** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **4245** | **4904** | **3666** | **55.28** | **3364** | **39.10** | **86.36** | **79.24** | **492** | **746** |

* **वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए सबसिडी प्राप्त करने की तिथि 30.05.2014 तक बढ़ा दिया गया था। इसके कारण से वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान का प्राप्त कुछ आवेदनों को वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान स्वीकृत किया गया है।**
* पीएमईजीपी के तहत्त आवेदनों का ई-ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित सेवाएँ अधिकांश बैंकों के द्वारा अपने बेवसाइट पर समाविष्ट नहीं किया है। बैंकों को अपने प्रधान कार्यालय से संपर्क कर इस सेवा की शुरुआत करनी चाहिए।

|  |  |
| --- | --- |
| **कार्यक्रम संख्या** | **9** |
| **बैठक की तारीख** | **12.02.15** |
| **बैठक संख्या** | **50** |

**10.** आरसेटी/एफ.एल.सी. का परिचालन

झारखंड राज्य में **आरसेटी की वर्तमान स्थिति निम्नांकित है :**

**(31.12.**2014 **के अनुसार)**

jhaझारखन्ड राज्य के 24 जिलों में निम्नलिखित सूची के अनुसार , बिभिन्न बैंको के द्वारा 24 **आरसेटी और 1 रुडसेटी संचालित किया जा रहा हैं |**

बैंक ऑफ इंडिया - 11 जिले

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - 8 जिले

इलाहाबाद बैंक - 3 जिले

पंजाब नेशनल बैंक - 2 जिले

कुल 24 जिले

एवं **रुडसेटी (रांची जिले की सिल्ली में कानारा एवं सिंडिकेट बैंक द्वारा संचालित) 1 जिला**

* स्वतंत्र निदेशकों की पोस्टिंग :

स्वतंत्र निदेशकों पदभार ग्रहण किया 24+1 केन्द्रों में

* **आरसेटी के लिए परिसर की स्थिति निम्न है :**

किराए के परिसर 7 केन्द्रों में

सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी परिसर (अस्थायी) 18 केन्द्रों में

* भूमि आवंटन की **स्थिति**

**भूमि आवंटित 23** केन्द्रों में

**भूमि अआवंटित\* 2 केन्द्रों**

**\*02 (गढ़वा, पलामू)**

* भूमि स्थानांतरण की **स्थिति**

भूमि स्थानांतरित - 20

* एम.ओ.आर.डी. दावा प्राप्ति की **स्थिति : 22**

निदेशकों का प्रशिक्षण :  
निदेशकों की संख्या जिनका टीटीपी प्रशिक्षण आया 23 निदेशकों  
निदेशकों की संख्या जिनका टीटीपी प्रशिक्षण नहीं आया - 02 निदेशकों

उपर्युक्त **आरसेटी के** कामकाज स्थिति निम्न प्रकार है :  
  
1. नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैं:  
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित - 24 केन्द्रों में

**AFY 2014-15 के दौरान RSETI द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम** :

**प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की संख्या - 343**

**Trainees की संख्या - 9460**

**जागरूकता कार्यक्रम की संख्या - 824**

**RSETI भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति ,**

**1. भवन निर्माण कार्य प्रारंभ - 2**

**2. Contractor की नियुक्ति - 4**

**3. Tender प्रक्रिया समापित - 10**

**4. भूमि-पूजन सम्पन - 2**

|  |
| --- |
| **वित्तीय साक्षरता केंद्र का संचालन** |

आर.बी.आई के निर्देशानुसार , विभिन्न जिला स्तर पर संचालित सभी अग्रणी बैंकों को प्रत्येक LDM कार्यालयों में, समयबद्ध ढंग से एक वित्तीय साक्षरता केन्द्र का स्तापना करना अनिवार्य है | आर.बी.आई द्वारा यह निर्देश भी दिया गया की सभी बैंको के ग्रामीण शाखायों को आबश्यक तौर पर F.L.C Camp का आयोजन करना है| इसके अलावा बैंक दूसरों स्थानों पर भी आवश्यकता आधारित वित्तीय साक्षरता केन्द्रो की स्थापना पर विचार कर सकते हैं | वर्तमान में 19 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (FLCs) झारखंड के राज्य में परिचालन कर रहे हैं :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| बैंक का  नाम | बैंक वित्तीय साक्षरता केन्द्र परिचालन (जिला स्तर पर ) | संख्या |
| बीओआई | रांची, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम(पु)एवं(प)  गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ | 10 |
| एसबीआई | देवघर, पाकुर, साहिबगंज, जामताड़ा, गढ़वा, लातेहर पलामू | 7 |
| इलाहाबाद बैंक | दुमका व गोड्डा | 2 |

उपरोक्त बैंको के अलावा निम्नलिखित ग्रामीण बैंको के द्वारा भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र का सञ्चालन किया जाता है ,

**झारखण्ड ग्रामीण बैंक** - 16 केन्द्र

**वनांचल ग्रामीण बैंक** - 9 केन्द्र

**दिसम्बर तिमाही के दौरान आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर**

|  |  |
| --- | --- |
| **दिसम्बर तिमाही में आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर की संख्या** | |
| वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा | 627 |
| **ग्रामीण शाखाओं द्वारा** | 3242 |
| **कुल** | 3869 |

|  |  |
| --- | --- |
| **कार्यक्रम सं** | **10** |
| **बैठक की तारीख** | **12.02.15** |
| **बैठक संख्या** | **50** |

**एसएलबीसी के विभिन्न उप समितियों के कामकाज**

**पहले के एसएलबीसी की बैठकों में लिए गए निर्णय के संदर्भ में, एसएलबीसी के निम्नलिखित उप-समितियां कार्य कर रहे हैं। पिछली बैठक की स्थिति नीचे दी गई है:**

**एस.एल.बी.सी की उप समितियां** :

| **SN** | **उप समिति के नाम** | **उप समिति के अध्यक्ष** | **उप समिति के अन्य सदस्यों में** | **संदर्भ की शर्तें** | **पिछली बैठक की तिथि** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | कृषि तथा संबद्ध उप समिति | प्रमुख सचिव / सचिव (कृषि) GOJ संयोजक – नाबार्ड | 1.प्रमुख सचिव / सचिव संस्थागत वित्त 2.प्रमुख सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग। 3. सचिव, वन विभाग।  4.नाबार्ड प्रमुख   महाप्रबंधक या डीजीएम के स्तर के बराबर  5) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि )  6) एसबीआई )आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि )  7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि )  8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि )  9) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां | 1)कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां ,केसीसी सहित  2) नई परियोजना/स्कीम  3) ऋण देने के लिए क्षमता का विकास | **22.01.15** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | निर्यात संवर्धन | एसएलबीसी के संयोजक बैंक **-** संयोजकएसएलबीसी | 1). प्रमुख सचिव / सचिव संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ  2) भारतीय रिजर्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग. एजीएम)  3) स्थानीय निर्यात संस्था  4)उद्योग विभाग  5) एक्जिम बैंक  6)अन्य सदस्य बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, और पीएनबी | 1) निर्यात क्रेडिट के तहत ऋण देने की प्रगति की समीक्षा 2)कृषि / हस्तकला के निर्यात में सुधार के लिए सुझाव 3) निर्यात संवर्धन के लिए सक्षम कारक | **02.02.15** |
| 3. | सुरक्षा | प्रमुख सचिव / सचिव (गृह), GOJ संयोजक- एसबीआई | 1) प्रमुख सचिव / सचिव गृह विभाग  2) एडीजी / पुलिस महानिरीक्षक – परिचालन  3) प्रमुख सचिव / सचिव संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ  4) आरबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि )  5) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि )  6) एसबीआई )आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि  7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि )  8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि )  9) झारखंड ग्रामीण बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि ) | 1) बैंक के ट्रेजरी की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा  2) राज्य की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के बारे नक्सल क्षेत्र में विशेष रूप से चर्चा करें  3) बैंक डकैती के मामलों में अंतिम रिपोर्ट  4) बैंक शाखाओं / करेंसी चेस्ट में पुलिस बल की तैनाती | **10.02.15** |
| 4. | सीडी अनुपात और एसीपी उप-समिति | एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी | 1) प्रमुख सचिव / सचिव संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ.  2) भारतीय रिजर्व बैंक  3) नाबार्ड  4) भारतीय स्टेट बैंक  5 ) बैंक ऑफ इंडिया  6) पंजाब नेशनल बैंक  7) झारखंड ग्रामीण बैंक  8) केनरा बैंक  9) यूनियन बैंक | 1) एसीपी की निगरानी उपलब्धि एवं अनुमानित सीडी अनुपात  2) खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए विशेष रणनीति  3) एसीपी के तहत ऋण देने में वृद्धि के लिए कारकों को सक्षम करने का विकास | 02.02.15 |
| 5. | एसएलबीसी  परिचालन  समिति | एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी | 1) संस्थागत वित्त विभाग  2) भारतीय रिजर्व बैंक  3) नाबार्ड  4) निदेशक, उद्योग  5) आईसीआईसीआई बैंक 6) केनरा बैंक  7) पंजाब नेशनल बैंक  8) बैंक ऑफ इंडिया  9) भारतीय स्टेट बैंक | 1) नवीनतम स्थिति और सरकार के पास लंबित मुद्दें / बैंक।  2) एसएलबीसी कामकाज में सुधार (बैंक / सरकार) | **02.02.15** |
| 6. | विधानमंडल और अन्य मुद्दे पर उप समिति | सचिव, संस्थागत वित्त  संयोजक- एसएलबीसी | 1) सचिव, ग्रामीण विकास  2) सचिव, सहकारी  3) सचिव, राजस्व  4) सचिव, कृषि  5) सचिव, योजना  6) भारतीय स्टेट बैंक  7) बैंक ऑफ इंडिया  8) इलाहाबाद बैंक  9) भारतीय रिजर्व बैंक | विधानमंडल से संबंधित सभी मुद्दों पर, राज्य में ऋण के माध्यम से विकास के लिए संशोधन और अन्य गतिविधियों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त किया। | **02.02.15** |
| 7. | एमएसएमई और सरकार पर उप-समिति, प्रायोजित योजनाएं | सचिव (ग्रामीण विकास)  संयोजक- बीओआई | 1) सचिव, ग्रामीण विकास  2) सचिव, संस्थागत वित्त  3) सचिव, उद्योग  4) भारतीय स्टेट बैंक  5) बैंक ऑफ इंडिया  6) इलाहाबाद बैंक | सरकार के तहत प्रायोजित योजनाओं में एमएसएमई वित्तपोषण और वित्तपोषण से संबंधित सभी मुद्दे, | **01.02.14\***  **दि:17.12.14को RBI**  **Empowered Com.on MSME की बैठक बुलाया गया था** |
| 8 | आवास वित्त पर उप-समिति | सचिव (शहरी विकास ) संयोजक- एसबीआई | 1) सचिव, शहरी विकास  2) सचिव, संस्थागत वित्त  3) राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिनिधि  4) भारतीय स्टेट बैंक  5) बैंक ऑफ इंडिया  6) इलाहाबाद बैंक  7) दोनों ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष | आवास वित्त पोषण से संबंधित सभी मुद्दें (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र) | **21.10.14** |
| 9 | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर उप-समिति | सचिव (ग्रामीण विकास) संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी | 1) प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास  2) सचिव, आईएफ और पीआई, GoJ  3) भारतीय रिजर्व बैंक  4) एसएलबीसी  5) भारतीय स्टेट बैंक  6) बैंक ऑफ इंडिया  7) केनरा बैंक  8)पी.एन.बी.  9)जे.जी.बी.  10) नाबार्ड | आजीविका संवर्धन रणनीतियों पर राज्य स्तर समर्थन- झारखंड | **5.12.14** |

|  |  |
| --- | --- |
| **कार्यक्रम सं.** | **11** |
| **बैठक की तिथि** | **12.02.15** |
| **बैठक सं.** | **50** |

**विविध**

1. **झारखण्ड राज्य के ग्रामीण बैंको के निर्देशक मंडल के बैठकों में झारखण्ड सरकार द्वारा नमित निर्देशकों का असंतोषजनक सहभागिता |**

( प्रस्तावक – भारतीय रिजर्व बैंक )

2. **लघु कृषक कृषि ब्यापार संघ (SFAC) द्वारा प्रवर्तित किसान उत्पादक कंपनी के लिए “ऋण गारंटी निधि ( CGF) योजना” का झारखण्ड राज्य में कार्यान्वित करना |**

( प्रस्तावक – राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति , झारखण्ड )

3. **RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त न्यूनतम 10 % Trainees का प्रवर्तक ( sponsored) बैंक के द्वारा Credit Linkage |**

( प्रस्तावक – ग्रामीण बिकाश बिभाग , झारखण्ड सरकार )

4. **झारखण्ड राज्य में और एक D.R.T एवं D.R.T Apellate Tribunal का स्थापना |**

( प्रस्तावक – राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति , झारखण्ड )

5. रांची जिले में S.B.I द्वारा RSETI का संचालन किया जा रहा है | झारखण्ड सरकार द्वारा इस RSETI की भवन निर्माण हेतु भूमि का आवंटन भी किया जा चूका है | परन्तु ग्रामीण विकाश बिभाग, भारत सरकार द्वारा, S.B.I को इस RSETI भवन निर्माण हेतु दिए जाने वाली राशि देने के लिए दिए गए आवेदन को अस्वीकृत किया गया | क्योंकि, उनके द्वारा, सिल्ली स्थित RUDSETI के भवन निर्माण हेतु राशि की भुगतान पहले ही किया जा चूका था , और नियमानुसार एक जिले में एक ही RSETI का प्रावधान है | उपरोक्त कारणों के चलते S.B.I द्वारा रांची RSETI बंद करने की निर्णय लिया गया| परन्तु दि :28.01.15 को झारखण्ड सरकार द्वारा बुलाया गया एक बैठक में मुख्य सचिव , ग्रामीण विकास बिभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया की, S.B.I रांची RSETI बंद करने की सिद्धांत पुनर्विचार करें , और यह भी प्रस्ताव दिया गया की , रांची RSETI भवन निर्माण की पूरी राशि झारखण्ड सरकार , बहन करेगी| इस प्रस्ताव के आलोक में S.B.I से आग्रह है की , वे झारखण्ड सरकार से RSETI भवन निर्माण हेतु ,समुचित प्रक्रिया का प्राराम्भ करें , और इस RSETI का संचालन जारी रखें|

|  |  |
| --- | --- |
| **कार्यक्रम सं.** | **12** |
| **बैठक की तिथि** | **12.02.15** |
| **बैठक सं** | **50** |

**अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा …**

|  |
| --- |
| **अगली एस.एल.बी.सी मीटिंग की तिथि :**  **14 मई ,2015** |